

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-149/2019 - 6486
प्रेषक,

/पटना, दिनांक- 13/12/19

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

Sl. No.	Division	Block	Name of Road	Length (in Km)	Cost of Initial Rectification with surface renewal (in lakh)	Five Year Maintenance Cost (in lakh)	Cost of Emergent Repair (10%)	Total Estimated cost (in lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Muzz East 2	Aurai	NH-77 Gopapur to Simari Chihuta Path	6.218	124.49000	53.95000	12.44900	190.88900
2	Muzz East 2	Aurai	Improvement of primary School Paramjiwar to Borbara Via Bhawanipur and Bhodo Road	10.300	214.35000	89.66000	21.43500	325.44500
3	Muzz East 2	Bochaha	NH-57 Yatwarpur Chowk to Sanichra asthan hote hue Sukrhat Tak	0.800	20.33000	7.35200	2.03300	29.71500
4	Muzz East 2	Gaighat	Kanta Pirochha To B Shital	2.698	51.16000	24.82000	5.11600	81.09600
5	Muzz East 2	Gaighat	Raghopur To Dumrawa	6.218	141.34000	58.88000	14.13400	214.35400
6	Muzz East 2	Gaighat	Bhatgawa To Ladaura Path	4.750	94.81000	43.99000	9.48100	148.28100
7	Muzz East 2	Gaighat	Susta To Trimuhan Ghat	4.167	80.35000	38.98000	8.03500	127.36500
8	Muzz East 2	Gaighat	Jata-Kata Path To Motnaje Road	10.000	263.73000	82.80000	26.37300	372.90300
9	Muzz East 2	Gaighat	Kumhraul to Kumhraul	1.940	40.96600	19.79500	4.09660	64.85760
10	Muzz East 2	Gaighat	Rela PMGSY Sadak Se to Ladi MMSY Sadak Tak	1.471	31.81000	13.65800	3.18100	48.64900
11	Muzz East 2	Gaighat	Susta To Susta	4.700	91.07000	39.88000	9.10700	140.05700

आंशिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

M.K.

9/12/19


Sl. No.	Division	Block	Name of Road	Length (in Km)	Cost of Initial Rectification with surface renewal (in lakh)	Five Year Maintenance Cost (in lakh)	Cost of Emergent Repair (10%)	Total Estimated cost (in lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Muzz East 2	Gaighat	Kanta Piraucha to Lakshmannagar	3.050	58.97000	25.92000	5.89700	90.78700
13	Muzz East 2	Gaighat	Ramnagar to M. Dahlla	3.320	62.82000	27.61000	6.28200	96.71200
14	Muzz East 2	Gaighat	Construction of Madhurpatti to Mahurara Mandir Jane wali Sadak ka Nirman	2.980	63.58000	25.53000	6.35800	95.46800
15	Muzz East 2	Gaighat	Susta B to Susta B	1.740	36.03600	14.52000	3.60360	54.15960
16	Muzz East 2	Minapur	NH-77 Dharam Narayan To Madaripur	2.962	59.35000	27.46000	5.93500	92.74500
17	Muzz East 2	Minapur	Bairia Motipur NH to Prasad Village Road	3.850	81.52000	35.43000	8.15200	125.10200
18	Muzz East 2	Minapur	Panapur NH-28 to Panapur	1.230	25.98900	11.29000	2.59890	39.87790
19	Muzz East 2	Minapur	Zamin Mathia Main Road to Pakhnaha Mahesh	1.275	24.26700	11.82600	2.42670	38.51970
20	Muzz East 2	Minapur	Zamin Mathia Main Road to Zamin Mathia	1.525	26.25000	13.96600	2.62500	42.84100
21	Muzz East 2	Katra	Berai Shyam Bihari Ram Ke Ghar to Mhuli PMGSY Path tak	0.750	20.67000	6.92300	2.06700	29.66000
22	Muzz East 2	Katra	Pahasul Rajghat to Lakhanpur Path	1.450	65.02000	13.28000	6.50200	84.80200
23	Muzz East 2	Katra	Baigna Lakhanpur Path to Janjuar Bari Pokhar Durga Mandir	1.900	109.53000	15.45000	10.95300	135.93300
Total				79.294				2670.21880

- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2 योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत MBD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
- इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-मु0अ0-4(मु0)-3054-04-64/2019 में दिनांक-01.06.2019, 15.07.2019 तथा 05.09.2019 को प्राप्त है।
- सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक- 23.11.19, को संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-149/2019 में अनुमोदन प्राप्त है।
- योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अछादित नहीं हो।

9/11/19

9. संबंधित योजना U/SRI कैटगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्रांडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं०-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यो को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
16. स्वीकृतादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु०अ०-4(मु०)-3054-04-149/2019 के पृ०-31/टि० पर दिनांक- 9.12.19, को प्राप्त है।

विश्वासभाजन




(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक- मु०अ०-4 (मु०)-3054-04-149/2019 6486

/पटना, दिनांक- 13/12/19

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अपर सचिव

ज्ञापांक - मु०अ०-4 (मु०)-3054-04-149/2019 6486

/पटना, दिनांक- 13/12/19

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर /उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।




अपर सचिव

M.K.

9. संबंधित योजना U/SRI कैटगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राड्रा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं०-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु०अ०-4(मु०)-3054-04-149/2019 के पृ०-31/टि० पर दिनांक- 9.12.19 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन




(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक- मु०अ०-4 (मु०)-3054-04-149/2019 6486

/पटना, दिनांक- 13/12/19

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अपर सचिव

ज्ञापांक - मु०अ०-4 (मु०)-3054-04-149/2019 6486

/पटना, दिनांक- 13/12/19

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर /उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अपर सचिव

M.F.